

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 174/16-13

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेश्वर ठाकुर जो बासकी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहुला थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/38/1 दाग नं0 32 रकबा 02-10-18 किस्म परती कृषि श्री चंद्रदेव चौबे पिता श्रीमेश्वर चौबे साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री चंद्रदेव चौबे को दिनांक 14/9/16 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

16
2016

अंचल अधिकारी,
महागामा।

31/7/2016

अभिलेख उपर पापित।
नोटिश निर्गत करें।

31/7/2016
महागामा।


05/01/2024


अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षण - सह-प्रभावी मंचन निरीक्षण गद्यगमन
के प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतीवेदन के साथ अभिलेखीय
प्रतीवेदन प्राप्त हुआ है जिसका आवलोकन किया प्रति-
वेदनागुहा अवैद्य संदेहास्पद पंजी-प्र ह्यतं को भूमि स्वतंत्र
पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई. सी. एल. एल.
ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


अधीक्षक
गद्यगमन।


मंचन/अधीक्षक
गद्यगमन।